

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय एवं गया।

पटना, दिनांक फरवरी, 2017

विषय:- विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों को सुविधा मुहैया कराने एवं अन्य अवसरों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त अध्याचित राशि का आवंटन।
प्रसंग :- जिला पदाधिकारी, लखीसराय का पत्रांक-204, दिनांक 31.05.2016 एवं गया का पत्रांक-321, दिनांक 18.01.2017, पत्रांक-7393, दिनांक 23.11.2016।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों को सुविधा मुहैया कराने एवं अन्य अवसरों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आपसे प्राप्त अध्याचना के आलोक में विभागीय पत्रांक-9517, दिनांक 05.12.2016 द्वारा पूर्व आवंटित राशि के अतिरिक्त संलग्न विवरणी-1 के अनुसार कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में क्रमशः ₹ 1,25,00,000, ₹ 2,12,00,000 एवं ₹ 10,00,000 यानि कुल ₹ 3,47,00,000 (तीन करोड़ सैतालीस लाख रू०) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना की मांग सं०-22 मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009- प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 13 01-कार्यालय व्यय, 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, लखीसराय एवं गया होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, लखीसराय एवं गया से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

10. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

12. वांछित डी०सी० विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाये।

13. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।

14. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-15/2016गू0आ0..... पटना, दिनांक फरवरी, 2017
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30

ज्ञापांक-6/ब0गै0यो0-01-15/2016गू0आ0..... पटना, दिनांक 08 फरवरी, 2017
प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, गया एवं मुंगेर/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना एवं आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक 08 फरवरी, 2017

प्रमण्डलीय आयुक्त, गया एवं मुंगेर/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना एवं आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राधा
08/02/17
सरकार के अवर सचिव

(Signature)

विवरण-1

वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना के मांग सं0-22 तथा मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0009-प्रतिनियुक्ति अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय विषय शीर्ष 13 01- कार्यालय व्यय, 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव तथा 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं एवं विपन्न कोड N2055000010009 अंतर्गत अतिरिक्त आवंटित राशि का जिलावार

विवरण :-

क्र०	जिला का नाम	13 01-कार्यालय व्यय			13 02-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव			28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं			कुल आवंटित राशि		
		पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	लखीसराय	0	500000	500000	0	1200000	1200000	0	1000000	1000000	0	27000000	27000000
2	गया	1300000	120000000	133000000	1000000	200000000	210000000	700000	0	700000	3000000	320000000	350000000
	योग	1300000	125000000	138000000	1000000	212000000	222000000	700000	1000000	1700000	3000000	347000000	377000000

(तीन करोड़ सैतालीस लाख रुपये) मात्र

राधा नन्दन प्रसाद

(राधा नन्दन प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव

1/10/24